

अनिल गर्ग,

आई०ए०एस०,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।



अत्यन्त महत्वपूर्ण / व्यवस्थापन-2014-15

कार्यालय 2642999 निवास 2622073
अर्द्ध शासकीय पत्रांक: 17903-978 / दस-
ला०-३६७ / सुझाव आबकारी नीति / 2014-15
दिनांक: इलाहाबाद : 29 जनवरी, 2014

प्रिय महोदय,

आबकारी अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 116 ई-२/तेरह-2014-126/2013 दिनांक 29-01-2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की आबकारी नीति की घोषणा की गयी है। उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त शासनादेश में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के बारे में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं मदिरा की आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं का विस्तृत गहन अध्ययन करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेश के क्रम में कार्यवाही करते समय कृपया निम्न व्यवस्थाओं/निर्देशों तथा समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें :-

1. देशी शराब का थोक/फुटकर विक्रय मूल्य :-

देशी शराब के अधिकतम थोक / फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2014-15 के लिए निम्नानुसार है:-

देशी शराब-(25 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक / फुटकर विक्रय मूल्य रूपये में (वर्ष 2014-15 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि०ली० में)	200
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	21.99
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	26

देशी शराब-(28 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक / फुटकर विक्रय मूल्य रूपये में (वर्ष 2014-15 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि०ली० में)	750	375	200	100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	143.58	73.82	40.33	21.67
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	172	88	48	26

देशी शराब- (36 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक / फुटकर विक्रय मूल्य रूपये में (वर्ष 2014-15 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि०ली० में)	750	375	200	100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	181.33	92.70	50.40	26.71
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	218	111	60	32

देशी शराब- मसालेदार (42.8 प्रतिशत वी/वी में)

आधिकतम थोक / फुटकर विक्रय मूल्य रूपये में (वर्ष 2014-15 के लिये)

ब्रमांक	धारिता (मि०ली० में)	750	375	200	180	100
1	आधिकतम थोक विक्रय मूल्य	213.42	108.74	58.96	53.19	30.98
2	आधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	257	131	71	64	37

2. **दुकानों की संख्या में वृद्धि** :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप की प्रदेश की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की प्रदेश की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।
3. **देशी/विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापन** :-
- 1) वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के जनपदों की वर्तमान समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन “नवीनीकरण” के माध्यम से किया जायेगा तथा वर्ष 2013-14 के अनुज्ञापी को वर्ष 2014-15 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - 2) वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन “नवीनीकरण” के माध्यम से किया जायेगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा उनका तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - 3) नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते हुये दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा तथा दुकान के नवीनीकरण की सूचना संबंधित अनुज्ञापी को निर्धारित तिथि तक दी जायेगी।
 - 4) देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान व्यवस्थित एम०जी०क्य० (36% v/v) में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये **6%** की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम०जी०क्य० में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम०जी०क्य० निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम०जी०क्य० में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रु० 24/- से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रु० 204/-प्रति बल्क लीटर की दर से एम०जी०क्य० में गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगणित की जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार जमा करनी होगी।
 - 5) वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रचलित की गई **25% v/v** तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा का प्रचलन वर्ष 2014-15 में भी यथावत रहेगा। इस विशेष श्रेणी की मदिरा की एम.आर.पी. रु० 26 प्रति पौवा (200एम.एल.) निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्य० के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्य० के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम०जी०क्य० का बल्क लीटर में ही 10 प्रतिशत होगी तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रूप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी। इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा

के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

- 6) विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2013–14 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा इस वृद्धि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु 0 में राउण्ड आफ करके उक्त विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु 0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु 0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।
- 7) बीयर दुकान की वर्ष 2013–14 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा इस वृद्धि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु 0 में राउण्ड आफ करके उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु 0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु 0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।
- 8) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :-**
 - (क) **नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :-** देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के माह मार्च–2014 से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली दुकान का अनुज्ञापी लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की आधी धनराशि आवेदन करने के समय जमा करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा अनुज्ञापी अवशेष लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि चलित आबकारी वर्ष के 15 मार्च तक जमा करेगा।
 - (ख) **लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :-** यदि किसी आवेदक को देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें।
 - (ग) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्यवाही :-** लाटरी द्वारा अथवा नवीनीकरण द्वारा लाइसेंसधारी के रूप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका चयन/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।
 - 9) वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस रु0 8,000 प्रति आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन पत्र रु0 9,000/- निर्धारित की गयी है। इस प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट व अन्य कर भी अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
 - 10) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान रुपये में निम्नवत् निर्धारित की गई है:-

क्र सं०	निकाय	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	माडल शाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	45,000	55,000	45,000	60,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	40,000	45,000	35,000	50,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	30,000	30,000	22,000	30,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	16,000	17,000	11,000	20,000

11) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निकाय वार नवसृजित देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम०जी०व्यू) एवं नवसृजित विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

निकाय	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी) बल्क लीटर में	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु० में)
नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि०मी० की परिधि तक	22500	8,55,000	1,90,000
नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि०मी० की परिधि तक	16000	2,90,000	1,00,000
नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि०मी० की परिधि तक	9500	1,35,000	55,000
ग्रामीण	5500	70,000	50,000

12) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

निकाय	लाइसेंस फीस (रु० में)	प्रतिभूति धनराशि (रु० में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	34.50 लाख	3.50 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	12.65 लाख रुपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 34.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।	1.75 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरापान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस ₹0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है।

4. विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" :-

वर्ष 2013–14 में प्रचलित की गई विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" की व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में समाप्त कर दिया गया है।

5. धरोहर धनराशि की वापसी :-

मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं० 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० 36190–36260/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/ आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 15–12–07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारूप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारूप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

6. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

1. भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेंडर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा।

7. विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारण :-

वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2014 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2014 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05–04–2014 तक आयुक्तालय को उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2013–14 की अवशेष देशी मदिरा की बिक्री वर्ष 2014–15 में किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर विक्रय की दुकानों, माडल शाप्स तथा एफ०एल०–२/२बी/२डी पर अवशेष विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन इत्यादि के अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा :-

1. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2014–15 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, तो अन्तर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम०आर०पी० के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
2. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2014–15 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/एम०आर०पी० उनकी वर्ष 2013–14 के लिये घोषित ई०डी०पी० पर वर्ष 2014–15 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा।
 - 2.1 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम०आर०पी० दोनों में वृद्धि होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम०आर०पी० के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
 - 2.2 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है किन्तु एम०आर०पी० में वृद्धि नहीं होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर तथा अन्तर की धनराशि के समतुल्य एम०आर०पी० में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम०आर०पी० के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

- 2.3 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में कमी होती है किन्तु एम०आर०पी० में वृद्धि होती है, तो वर्ष 2013–14 की एम०आर०पी० पर ही बिक्री की जायेगी।
- 2.4 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम०आर०पी० दोनों में कमी होती है तो वर्ष 2013–14 की एम०आर०पी० पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष स्टाक के निस्तारण की अन्य व्यवस्था आबकारी आयुक्त, उ०प्र० के निर्देशानुसार की जायेगी।

8. देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग की नयी फुटकर दुकानों तथा नयी माडल शाप का सृजन :-

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये देशी/विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स के नवसृजन का विवरण **संलग्नक-2** पर है।

9. भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा :-

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण **संलग्नक-3** पर है।

10. ताढ़ी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अभिकर :-

वित्तीय वर्ष 2014–15 में ताढ़ी की अनुज्ञापनों की “ट्री-टैक्स/सरचार्ज प्रणाली व्यवस्था” वित्तीय वर्ष 2013–14 की भाँति यथावत रहेगी।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपद स्तरीय अनुज्ञापनों यथा एफ०एल०–६ समिश्र/एफ०एल०–६ (क) समिश्र/एफ०एल०–७/ एफ०एल०–७बी/एफ०एल०–१६/१७ इत्यादि अनुज्ञापनों का भी नियमानुसार नवीनीकरण/व्यवस्थापन समर्यान्तर्गत कराया जाय।

12. देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रों का वितरण एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रक्रिया :-

वाराणसी, आगरा, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) की वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण से अवशेष तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन आवेदन पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार है :-

- a) दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, उप आबकारी आयुक्त प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से रु० 8000/- (माडल शाप के लिए रु० 9000/-) प्रति आवेदन पत्र प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस धनराशि पर समय–समय पर देय वैट एवं अन्य कर भी अतिरिक्त रूप से वसूल किया जायेगा, जिसे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/अन्य अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित लेखाशीषक में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2014–15 में आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा

- आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।
- b) आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ-पत्र के प्रारूप पहले से ही तैयार करके रख लिये जायें तथा आवेदन पत्रों के वितरण के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।
 - c) आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रों की जाँच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट शपथ-पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि)लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जाँच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन कमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का कमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा।
 - d) आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु (1) पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/झाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा अश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा।
 - e) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छाँटकर उनकी अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रावली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।
 - f) जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
 - g) जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूची के अनुसार अंकित कमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित की जाय तथा उक्त दुकान के आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को भली-भौति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में कुछ ऊँचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, लाटरी की कार्यवाही को भली भौति देख सकें।

- h) सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।
- i) सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।
- j) मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख-रेख में की जायेगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति के सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को लगा सकते हैं।
- k) सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात का पूर्ण प्रयास किये जाये कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।
- l) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियाँ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।
- m) जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तैयार की गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन-पत्रों की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके आवेदकों के नाम व उनकी पंजीयन संख्या को उच्चारित करते हुए उन्हें क्रमशः विधिवत् मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियाँ पात्र में पड़ गयी हैं। पात्र में पर्चियाँ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली-भौति देख सकें।
- n) जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार-बार लाटरी की पर्चियां न निकलवायी जाय।
- o) लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर के उपरान्त जी-14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायें।
- p) जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। साथ ही लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए उसे निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहदारी व अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर

अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में राज्यसात कर ली जायेगी।

- q) सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।
- r) विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्यिता बरती जाये।
- s) दुकानों के आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में करेकिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेकिंग फ्लूड लगे आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।
- t) विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम० एल० होते हैं, को 750 एम०एल० की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम०एल० होने पर ही एक बोतल की गणना करके एम०डी०ओ० में तदनुसार सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।
- u) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी-12 ग व छ: 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- v) वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 के अवशेष लाटरी फार्मा का प्रयोग यथावश्यक संशोधनों के साथ वर्ष 2014-15 हेतु भी किया जायेगा।
- w) वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

13. समय सारिणी :-

1. विशेष मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणी :-

क्रमांक	विवरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2014-15 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स (नवसृजित दुकानों सहित) की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	30.01.2014
(ii)	अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिक्री की दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04.02.2014 को 15.00 बजे तक
(iii)	एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण	04.02.2014 को 17.00 बजे तक
(iv)	जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वर्तमान दुकानों के नवीनीकरण तथा नवसृजित दुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि	07.02.2014 को 17.00 बजे

2. विशेष मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारिणी :-

क्रमांक	प्रथम चरण	तिथि
1	(i) वर्ष 2014–15 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना । (ii) उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना । (iii) उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 01.02.2014 से दिनांक 06.02.2014 को अपराह्न 13.00 बजे तक करने के संबंध में एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञाप्ति का प्रकाशन	30.01.2014
	(iv) नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	06.02.2014 को 16.00 बजे तक
	(v) जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुये दुकानों के नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि	06.02.2014 को 18.00 बजे तक
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 07.02.2014 से प्रारम्भ कर दिनांक 11-02-2014 को अपराह्न 14.00 बजे तक करने एवं उसी दिन सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति का प्रकाशन।	06.02.2014
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण	07.02.2014 से 11.02.2014 को 14.00 बजे तक
(iii)	आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि	11.02.2014 को 17.00 बजे तक
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	12.02.2014
(v)	सार्वजनिक लाटरी	13.02.2014 को 11.00 बजे से
	तृतीय चरण	
3(i)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2013–14 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञाप्ति	13.02.2014

(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	14.02.2014 से 18.02.2014 को 12.00 बजे तक
(iii)	आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि	18.02.2014 को 14.00 बजे तक
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	18.02.2014
(v)	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाठरी	19.02.2014 को 11.00 बजे से
(vi)	तृतीय चरण के पश्चात् यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती हैं तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	—
(vii)	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2014 से दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही	30.03.2014

3. भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय सारिणी:-

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	10.02.2014
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती हैं तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे	

नोट:- 1-यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2-उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2014–15 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट www.upexcise.in पर देखा जा सकता है।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवन्निष्ठ,

(अनिल गर्ग)

(नाम से)
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 17979-997 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2014-15/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(अनिल गर्ग)

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 17998-18196/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2014-15/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। उप आबकारी आयुक्त लखनऊ चार्ज का अतिरिक्त प्रभार जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ तथा उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद चार्ज का अतिरिक्त प्रभार जिला आबकारी अधिकारी, मुरादाबाद के पास है। अतः जनपद लखनऊ व मुरादाबाद की दुकानों के एम०जी०क्य००/लाइसेंस फीस इत्यादि का परीक्षण संबंधित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन द्वारा किया जायेगा।
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लें कि देशी शराब के एम०जी०क्य०० व विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप के अनुज्ञापन फीस के आगणन नियमानुसार सही तरीके से हो जाये ताकि किसी प्रकार की राजस्व क्षति न होने पाये।
3. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियों/प्रभारी अधिकारी, बाण्ड धारक इकाइयों/सहायक आबकारी आयुक्त, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (एस०एस०एफ०), उ०प्र० को संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी एवं समयवद्वा कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हेतु यथावश्यक सुसंगत नियमावलियों में समय-सीमा के अन्तर्गत संशोधन सुनिश्चित करायें।
5. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों के साथ विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न जनपदीय/प्रभार/जोन के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित करायें।
6. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(अनिल गर्ग)

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।